आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

24.6.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

बटाईदारी अपील वाद सं0 – 01/2008–09

1. मो0 रसीद व मो0 कबीर व मो0 मुस्लीम व मो0 वसीक, सभी पिता–स्व0 शेख मंगलू, ग्राम–बाड़ा इस्ताम्बरार, थाना+अंचल–जोकीहाट, जिला–अररिया
2. मो0 मुन्ना व बीबी मुन्नी व बीबी सहनाज व बीबी कारी व बीबी खुसबू व बीबी असगरी, पिता/पति–शेख म0 इस्लाम, सभी ग्राम–बारा इस्तम्बरार, थाना–जोकीहाट, जिला–अररिया – आवेदकगण

बनाम

1. मो0 इम्तयाज व असमती व बेगम व उम्मती, पिता–स्व0 रईसउद्दीन, ग्राम–बारा इस्ताम्बरार, थाना–जोकीहाट, जिला–अररिया
2. मो0 मैमुन निशां, पति–स्व0 रईसउद्दीन, ग्राम–बारा इस्तमबरार, थाना–जोकीहाट, जिला–अररिया
3. म0 हफीजउद्दीन, पिता–स्व0 मोहसीन, ग्राम–बारा इस्तम्बरार, थाना–जोकीहाट, जिला–अररिया – विपक्षीगण
4. मो0 अजीम, पिता–शेख इब्राहीम
5. मो0 तैयब, पिता–स्व0 शे0 सिकन्दर
6. मो0 महबूब आलम, पिता–स्व0 शे0 सिकन्दर
7. मो0 साबीर, पिता–स्व0 ग्यासउद्दीन
8. मो0 कुर्बान, पिता–ग्यासउद्दीन

सभी सा0–बारा इस्तम्बरार, थाना–जोकीहाट, जिला–अररिया – मध्यपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक मो0 रसीद एवं अन्य, पिता–शे0 मंगलू, सा0–बारा इस्तम्बरार, थाना–जोकीहाट, जिला–अररिया की ओर से वाद सं0 538/2006–07 अंदर धारा 48(ई0) बी0टी0 एक्ट में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2008 के विरूद्ध समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 26.03.2008 को दाखिल किया गया, जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 02.05.2013 को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए विधिवत निष्पादन हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1322/वि0, दिनांक 11.09.2015 द्वारा इस न्यायालय का प्राप्त हुआ। विपक्षी को न्यायालय द्वारा सूचना निर्गत की

गई। उनकी ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

वादग्रस्त भूमि का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
बारा इस्तम्बरार अंचल–जोकीहाट	आर0एस0 खाता 471	1884/3120	1.00 ए0
	सिकमी खाता 153		
	सिकमी खाता 66	1104	0.04 ए0
			1.04 ए0

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादग्रस्त भूमि का कायमी खतियान शे0 मोहसीन के नाम से दर्ज है तथा शिकमी खतियान प्रथम पक्ष के पिता शेख मंगलू के नाम से दर्ज है। खतियानधारी बड़े जमींदार थे। वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण के पिता अपने जीवन काल में दखलकार होकर जोत आबाद करते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् अपीलकर्त्तागण उस भूमि पर दखलकार होकर जोत आवाद करते आ रहें है तथा फसल बाँटकर विपक्षीगणों को देते आ रहें हैं। गाँव में फसल बँटवारा का रसीद का प्रचलन नहीं रहने के कारण भूधारी उन्हें रसीद नहीं देते हैं। भूधारीगण जमीन से बेदखल करने की धमकी दिया तो उनके द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में बटाईदारी वाद सं0 538/2006–07 दाखिल किया गया। किन्तु विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा उनके बटाईदारी के दावे को खारिज कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा अपील वाद लाया गया है।

इनका यह भी कहना है कि विपक्षीगणों खतियानी रैयत के वारिशानों को इस वाद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि शे0 सिकन्दर, पिता–केसर अली व मो0 अजीम, पिता–शेख इब्राहीम, मो0 साबीर ओर मो0 कुरबान, दोनों पिता–स्व0 ग्यासउद्दीन को लदावीनामा केवाला उनके पक्ष में अपना कायमी हक निष्पादित कर दिया है, जबकि सिकमी हक अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज है। परन्तु विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा 48 ई0 बी0टी0 एक्ट अधिनियम के तहत समझौता बोर्ड का न गठन किये और न ही स्थल जाँच किये, सिर्फ पिता की मृत्यु के बाद उनके वारिशानों को यह भूमि हस्तांतरित नहीं हो सकती है, गलत तथ्यों के आधार पर उनके बटाईदारी दावे को खारिज कर दिया गया है। जबकि अपीलार्थी और न हीं अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा अपना सिकमी हक किसी को भी हस्तांतरित किया गया है। अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 23.02.2008 को निरस्त करते हुए आवेदकगणों को वादग्रस्त भूमि पर बटाईदार घोषित किये जाने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष मध्यपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि सन् 1962 ई0 में ही भूधारी द्वारा वादग्रस्त भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज द्वारा मध्यपक्षीगणों को लदावी कर दिया है, जिसपर वे दखलकार है। साथ हीं 48 ई0 बी0टी0 एक्ट का अपील Board of Revenue में ही सुना जा सकता है। निचले न्यायालय को सुनने की

शक्ति प्रदत्त नहीं है। अतएव आवेदकगणों (अपीलकर्त्ताओं) के दावे को अस्वीकृत करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि का सिकमी खतियान अपीलकर्त्तागणों के पूर्वज शेख मंगलू के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी का दावा है कि कायमी खयितानी रैयत द्वारा मध्यपक्षी को जो लदावी केवाला किया है उसमें वादग्रस्त भूमि सम्मिलित नहीं है। विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा 48 ई0 बी0टी0 एक्ट अधिनियम के तहत शिकतीदार के वारिसानों की हक की रक्षा नहीं की गई है। जबकि अपीलकर्त्तागण सिकमी खतियान रैयत के वारिशान है। स्वभाविक है कि प्रश्नगत भूमि पर सिकमीदार का दखल–कब्जा कायम होगा तथा उनके मृत्युपरांत वर्त्तमान में उनके वारिशानों का दखल–कब्जा कायम होगा। अतएव स्थल जाँच होना आवश्यक था। साथ ही विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया द्वारा अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि सिकमी अधिकार अहस्तान्तरणीय है। पिता की मृत्यु के पश्चात् उनके वारिशानों को यह भूमि हस्तांतरित नहीं हो सकती है। यह सही है कि सिकमी अधिकार हस्तान्तरणीय नहीं है, किन्तु इसका शिकमीदार के वारिशानों को बंशानुगत हक स्वतः प्राप्त होगा। अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया का पारित आदेश दिनांक 23.02.2008 को विधि सम्मत नहीं पाते हुए निरस्त किया जाता है तथा अपीलार्थीगणों के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अपीलार्थी को आदेश दिया जाता है कि वे अंचल अधिकारी, जोकीहाट के समक्ष एक माह के अन्दर 48D BT Act में कायमी हक हेतु आवेदन दाखिल करें, जिसका निष्पादन अंचल अधिकारी तीन माह के अन्दर विधिवत करेंगे।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/अंचल अधिकारी, जोकीहाट को भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०–
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 80 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 24 / 06 / 2017

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया को बटाईदारी वाद सं0 538/05–06 / 68/06–07 (मो0 रसीद एवं अन्य बनाम मो0 रियाजउद्दीन एवं अन्य) मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, जोकीहाट को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24.6.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया